

राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : लेखा/बजट/19-20/129

दिनांक : 06.03.2020

प्राचार्य  
राजकीय महाविद्यालय (समस्त)

विषय :- वर्ष 2019-20 के लिये आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग किये जाने एवं शेष राशि को दिनांक 13.03.2020 तक समर्पित किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपसे समय-समय पर प्राप्त बजट मांग तथा विभाग में उपलब्ध बजट के आधार पर मूल बजट आवंटन एवं अतिरिक्त बजट का आवंटन किया गया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कुछ ही दिन शेष रहने के कारण आपको निर्देशित किया जाता है कि आवंटित बजट का नियमानुसार पूर्ण उपयोग दिनांक 13.03.2020 तक किया जाना सुनिश्चित करें।

आवंटित बजट की किसी मद में बचत रहने की संभावना हो तो अविलम्ब इस कार्यालय की IFMS आई.डी. संख्या 8959 में समर्पित करावें, जिससे राशि को अन्य महाविद्यालय को जारी कर सदुपयोग किया जा सके। आवंटित राशि के उपयोग नहीं किये जाने पर सम्बन्धित प्राचार्य व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे।

साथ ही IFMS की वेबसाइट पर आवंटित बजट अथवा withdraw बजट का निरीक्षण करते रहें, क्योंकि आवंटित राशि का उपयोग नहीं करने पर इस कार्यालय द्वारा बजट withdraw भी किया जा सकता है एवं महाविद्यालयों से राशि समर्पित होने पर आपकी मांग के अनुसार अतिरिक्त बजट भी आवंटित किया जा सकता है।



आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 06.03.2020

क्रमांक : लेखा/बजट/19-20/130  
प्रतिलिपि :-

01. संयुक्त निदेशक (आई.टी. सेल) को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की सम्बन्धित को ई-मेल व वेबसाइट के माध्यम से सम्बन्धित को सुनिश्चित करावें।



वित्तीय सलाहकार

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर